न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–303/2019

शेख अब्दुल गफार एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

बिहार सरकार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
03.11.2022	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादीगणों की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 31.01.2022 को दिये गये आवेदन के आदेश हेतु नियत है। वादीगणों की ओर से दिनांक 31.01.2022 को आदेश 1 नियम 10(2) व्यवहार प्रकिया संहिता के अंतर्गत आवेदन दिया गया है। **आदेश (ORDER)** वादीगणों की ओर से दिनांक 31.01.2022 को आदेश 1 नियम 10(2) व्यवहार प्रकिया संहिता के अंतर्गत आवेदन दिया गया कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–06, 08, 09, 10, 11, 14, 23 की मृत्यु वाद दाखिल करने के पूर्व हो चुकी थी। जिसकी जानकारी वादीगण को नही थी। जानकारी होने पर वादीगण उक्त आवेदन दे रहे है। वादीगण अलग से इन प्रतिवादीगण के वारिसानों को पक्षकार बनाने हेतु आवेदन दे रहे है। मृत प्रतिवादीगण का नाम वादपत्र से विलोपित करना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि आवेदन में दिये गये मृत प्रतिवादीगण का नाम प्रतिवादी कॉलम से विलोपित करने की कृपा करें। प्रतिवादी सं0–05, 07 तथा 15 की ओर से दिनांक 08.09.2022 को प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। जिसमें वादीगण का आवेदन अपोषणीय बताया गया तथा कहा गया कि वादीगण एवं मृत प्रतिवादीगणों के वारिसानों के बीच लगातार वाद विवाद होता चला आया है। अतः वादीगणों को मृत प्रतिवादीगणों की मृत्यु की जानकारी पूर्व से रही है। वादीगणों द्वारा मृत प्रतिवादीगणों के वारिसानों को पक्षकार बनाने हेतु कोई आवेदन नही दिया गया है। प्रतिवादी सं0–13 भी मर चुके है। लेकिन इनका नाम वादीगणों द्वारा दी गयी मृत प्रतिवादीगणों की सूची में नही है। अतः वादीगणों द्वारा दाखिल आवेदन खारिज करने योग्य है। उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–303/2019</u>

लगातार 03.11.2022	अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख अभी प्रारंभिक अवस्था में है। वादीगण द्वारा मृत प्रतिवादीगणों को प्रस्तुत वाद में पक्षकार बनाया गया है जिसकी जानकारी वादीगणों को वाद दाखिल करते समय नही थी। प्रतिवादीगण भी मृत प्रतिवादीगणों की मृत्यु होना स्वीकार करते है। वादीगणों की ओर से अपने आवेदन के समर्थन में शपथपत्र भी दाखिल किया है परंतु अगर वादीगणों के द्वारा वाद दाखिल करते समय सावधानी बरती होती तो उक्त आवेदन की आवश्यकता नही होती। अतः वादीगणों का आवेदन मो0–300/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वाद दिनांक 05.12.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	